भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 199
जिसका उत्तर सोमवार 24 जून, 2019 को दिया जाना है

सार्वजनिक क्षेत्र के बंद उपक्रमों का पुनरुद्धार

199. श्री रिपुन बोरा:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि असम के सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों (पीएसयू) नामतः पंचग्राम कागज मिल और जागीरोड कागज मिल को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपर्युक्त दोनों उपक्रमों का पुनरूद्धार करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं या क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उक्त दोनों उपक्रमों में जो कर्मचारी बड़ी संख्या में पिछले चार वर्षों से वेतन प्राप्त किए बिना संघर्ष कर रहे हैं उन्हें मुआवजा देने के लिए सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश के सार्वजनिक क्षेत्र के उन अन्य उपक्रमों के संबंध में सरकार का क्या प्रस्ताव है जो औद्योगिक वित्त तथा पुनर्निर्माण बोर्ड के अधीन हैं और जिन्हें बंद किए जाने का प्रस्ताव किया गया है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री अरविंद गणपत सावंत)

(क) से (ग): असम में कछार पेपर मिल, पंचग्राम और नगाँव पेपर मिल, जागीरोड हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) की मिलें हैं, इस समय ये मिलें प्रचालन में नहीं हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (एनसीएलटी) ने दिनांक 13.06.2018 के आदेश के माध्यम से एचपीसी के विरुद्ध इन्सोल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आईबीसी), 2016 के तहत कॉर्पोरेट इन्सोल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी) आरंभ करने का निदेश दिया।

इसके बाद, आईबीसी के उपबंधों के अनुसार एचपीसी का निदेशक मंडल निलंबित हो गया है और एचपीसी के लिए एक समाधान व्यावसायिक (आरपी) और लेनदारों की एक समिति नियुक्त की गई है।

अध्यक्ष एवं महानिदेशक, एचपीसी ने एनसीएलएटी के दिनांक 13.06.2018 के उपर्युक्त आदेश के विरूद्ध राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अभिकरण (एनसीएलएटी) में एक अपील दायर की है, तथापि, दिनांक 08.01.2019 के आदेश के द्वारा अपीलीय अभिकरण द्वारा उक्त अपील को निरस्त कर दिया गया।
दिनांक 02.05.2019 को सुनवाई के दौरान एनसीएलटी ने एचपीसी के परिसमापन का आदेश दिया।

(घ): औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को भंग कर दिया गया है, बीआईएफआर के सम्मुख सभी लंबित मामले समाप्त हो गए हैं।

*****